न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू , जिला–टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–94/2019
प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक :–15.10.2019
निर्णय दिनांकः–26.02.2020

उनवान

नन्दभंवर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुढ़ारामदास तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज.)

अप्रार्थी

प्रा0पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री शंकरलाल चौधरी
प्रतिवादीगण– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक–26.02.2020

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि खाता संख्या 113 में वर्णित ख0न0 60/4 रकबा 03 बीघा एवं खाता संख्या 114 में वर्णित ख0न0 60/8 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम गुढ़ारामदास पटवार हल्का नोरंगपुरा भू0अ0नि0 बनवाड़ा तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता प्रहलाद सिंह के नाम थी जिनकी फौत हुई उस समय प्रार्थी 7 वर्ष का था जो कि विरासत का नामान्तकरण भरते समय नन्दभंवर सिंह की जगह भंवरसिंह कर दिया गया जो कि एक लिपिकीय त्रुटी हैं जबकि सही नाम नन्दभंवर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह कोम दरोगा हैं। प्रार्थी के वर्तमान में आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक डायरी में नन्दभंवर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह दर्ज है। जिसको राजस्व रिकॉर्ड में नन्दभंवर सिंह अंकित कर दुरूस्त किया जाने हेतु निवेदन किया हैं।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई थी। तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। जो पत्रावली शुमार हैं। तहसीलदार पीपलू ने रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की हैं।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थी का विरासत का नामान्तकरण भरते समय नन्दभंवर सिंह की जगह भंवरसिंह कर दिया गया जो कि एक लिपिकीय त्रुटी हैं जबकि सही नाम नन्दभंवर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह कोम दरोगा हैं। अतः राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक डायरी प्रति प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आधार कार्ड एवं बैंक डायरी एवं तहसीलदार पीपलू से चाही गई वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार, पीपलू की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 113 में वर्णित ख0न0 60/4 रकबा 03 बीघा एवं खाता संख्या 114 में वर्णित ख0न0 60/8 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम गुढ़ारामदास पटवार हल्का नोरंगपुरा भू0अ0नि0 बनवाड़ा तहसील पीपलू जिला टोंक के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम भंवरसिंह पुत्र प्रहलाद के स्थान पर नन्दभंवर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पीपलू को निर्णय अनुसार अनुसार पालना करने एवं राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने हेतु तहरीर जारी हों।

निर्णय आज दिनांक–26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)